

# भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय, धालभूम, जमशेदपुर।

मिसकेस संख्या - 10/2023-24

तिथि	संशोधित आदेश	कि गई कार्रवाई										
25/9/23	<p>अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के साथ प्रस्तुत आवेदन शपथ पत्र अंचलाधिकारी मानगो के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा तथा अन्य कागजातों के अवलोकन एवं साक्ष्यों के आधार पर अन्तरण की पूर्वानुमति के लिए अपेक्षित निम्नांकित शर्तें विद्यमान हैं:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. विक्रेता/दाता प्रसंगाधीन जमीन के अधिभोग (occupancy) रैयत है।</li> <li>2. विक्रेता/दाता और क्रेता/ग्रहिता दोनों ही अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। (जाति प्रमाण पत्र संलग्न)</li> <li>3. ग्रहिता/ क्रेता एवं दाता/विक्रेता दोनों ही एक ही थाना के निवासी हैं, जिस थाना के क्षेत्राधिकार में प्रसंगाधीन जमीन अवस्थित है। (निवास प्रमाण पत्र संलग्न)</li> <li>4. प्रस्तावित अन्तरण के विरुद्ध कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।</li> </ol> <p>अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 46 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(1) द्वितीय परन्तुक (क) के अन्तर्गत विक्रेता/दाता :- प्रकाश सुन्डी, पिता-विजय सुन्डी, जाति-हो, ग्राम-संकोसाई, थाना-उलीडीह, अंचल-मानगो, जिला-पूर्वी सिंहभूम, को मूल्य - 21,00,000/-रुपये या जिला निबंधक द्वारा निर्धारित मूल्य में से जो है अधिक है, की दर से क्रेता/ग्रहिता :- सुभाष चन्द्र कालुन्डिया, पिता-स्व0 डोबरो कालुन्डिया, जाति-हो, ग्राम- संकोसाई, खड़िया बस्ती, थाना-उलीडीह, अंचल-मानगो, जिला- पूर्वी सिंहभूम के नाम बिक्री हेतु निम्नांकित जमीन का ब्यौरा :-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>वार्ड सं0</th> <th>खाता सं0</th> <th>प्लॉट सं0</th> <th>रकबा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>अ0क्षे0स0 मानगो</td> <td>10</td> <td>407</td> <td>1623</td> <td>6.60डी0</td> </tr> </tbody> </table> <p>के प्रस्तावित अंतरण की पूर्वानुमति दी जाती है।</p> <p>लेखापित 25/9/23 भूमि सुधार उप समाहर्ता धालभूम, जमशेदपुर।</p>	मौजा	वार्ड सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	अ0क्षे0स0 मानगो	10	407	1623	6.60डी0	
मौजा	वार्ड सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा								
अ0क्षे0स0 मानगो	10	407	1623	6.60डी0								